न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0
06 / 2022

तारीख फैसला
9.09.2023

उनवान

1– रामभरोसी बाई उर्फ ग्यारसी बाई पुत्री ग्यारसीराम , पत्नि प्राण सिंह जाति खारोल(खारवाल) निवासी सारोला हाल निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 (वादनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (प्रतिवादी)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

वादनी की ओर से – श्री रघुवीर वैष्णव एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

निर्णय

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम कचनावदा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती के कब्जे काश्त व खाते की भूमि खाता नं0 नया 24 व पुराना नं0 21 पर खसरा नम्बर 5 की 0.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 51 की 2.70 हेक्टर कुल दो किता की 3.36 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादनी का नाम ग्यारसी बाई दर्ज जिसमें वादी का 1/24 हिस्सा अंकित है, वादनी 1/24 हिस्से की खातेदार है। जिसमें वादनी का बोलता नाम ग्यारसी बाई दर्ज है। उक्त आराजी में वादनी का नाम नामा0 दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम ग्यारसी बाई के नाम से नामा0 दर्ज कर दिया गया है, जबकि वादनी का वास्तविक नाम रामभरोसी बाई है, तथा समस्त दस्तावेजों में भी वादनी का नाम रामभरोसी बाई है , उक्त भूमि वादनी व सहखातेदारान के कब्जे काश्त की आराजी है। जिसमें वादनी का बोलता नाम दर्ज किया गया है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादनी का नाम आधार कार्ड, बैंक खाते में वोटर आईडी एवं सभी सरकारी दस्तावेजात में वादनी का नाम रामभरोसी बाई है। वादनी का नाम जमाबन्दी में ग्यारसी बाई होने से सरकारी योजनाओ का लाभ व भूमि सुधार के लिये परेशानी हो रही है। वादनी को दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम दुरूस्त कराने का कानूनन अधिकार है। इसलिये वादनी का नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादनी का नाम प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम रामभरोसी बाई के स्थान पर ग्यारसी बाई दर्ज कर दिया है जो गलत है। उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम ग्यारसी बाई के स्थान पर रामभरोसी बाई दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 23.11.2021 को उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम दुरूस्त नहीं करने कि कहने पर पैदा हुआ। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वादनी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे :–कि ग्राम कचनावदा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती के कब्जे काश्त व खाते की भूमि खाता नं0 नया 24 व पुराना नं0 21 पर खसरा नम्बर 5 की 0.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 51 की 2.70 हेक्टर कुल

दो किता की 3.36 हेक्टर भूमि जिसमें वादनी का नाम ग्यारसी बाई अंकित है। वादनी का नाम ग्यारसी बाई के स्थान पर रामभरोसी बाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई।

3. प्रतिवादी पेरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा पेश किया कि पटवारी हल्का कचनावदा एवं भू0अभिलेख निरीक्षक बमोरी कि रिपोर्ट अनुसार रामभरोसी बाई उर्फ ग्यारसीबाई पुत्री ग्यारसीराम जाति खारोल (खारवाल) निवासी सारोला की ग्राम कचनावदा की वर्तमान जमाबन्दी के खसरा नम्बर 5 की 0.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 51 की रकबा 2.70 हेक्टर कुल 2 किता की 3.36 हेक्टर में वादनी के शामलाती खाते में नाम ग्यारसी बाई पुत्री ग्यारसीराम जाति खारोल (खारवाल) दर्ज है। वादनी के अन्य दस्तावेजों में नाम रामभरोसी बाई दर्ज है। मुताबिक ग्राम वासियान वादनी को पीहर में दोनों नाम रामभरोसी बाई उर्फ ग्यारसीबाई एक ही महिला के है।

4. वादनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कचनावदा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती के कब्जे काश्त व खाते की भूमि खाता नं0 नया 24 व पुराना नं0 21 पर खसरा नम्बर 5 की 0.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 51 की 2.70 हेक्टर कुल दो किता की 3.36 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादनी का नाम ग्यारसी बाई दर्ज जिसमें वादी का 1/24 हिस्सा अंकित है, वादनी 1/24 हिस्से की खातेदार है। जिसमें वादनी का बोलता नाम ग्यारसी बाई दर्ज है। उक्त आराजी में वादनी का नाम नामा0 दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम ग्यारसी बाई के नाम से नामा0 दर्ज कर दिया गया है, जबकि वादनी का वास्तविक नाम रामभरोसी बाई है, तथा समस्त दस्तावेजों में भी वादनी का नाम रामभरोसी बाई है , उक्त भूमि वादनी व सहखातेदारान के कब्जे काश्त की आराजी है। जिसमें वादनी का बोलता नाम दर्ज किया गया है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादनी का नाम आधार कार्ड, बैंक खाते में वोटर आईडी एवं सभी सरकारी दस्तावेजात में वादनी का नाम रामभरोसी बाई है। वादनी का नाम जमाबन्दी में ग्यारसी बाई होने से सरकारी योजनाओ का लाभ व भूमि सुधार के लिये परेशानी हो रही है। वादनी को दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम दुरूस्त कराने का कानूनन अधिकार है। इसलिये वादनी का नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादनी का नाम प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम रामभरोसी बाई के स्थान पर ग्यारसी बाई दर्ज कर दिया है जो गलत है। उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम ग्यारसी बाई पुत्री ग्यारसीराम जाति खारोल (खारवाल) सा0 सारोला के स्थान पर रामभरोसी बाई पुत्री ग्यारसीराम , पत्नि प्राण सिंह जाति खारोल (खारवाल)दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

5. वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में पी डब्ल्यु 1 रामभरोसी बाई पुत्री ग्यारसीराम, पत्नि प्राण सिंह का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम कचनावदा की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में खाता संख्या 24, वोटर आई डी , आधार कार्ड, राशन कार्ड व पेन कार्ड, नगर पालिका सुल्तानपुर की तस्दीक की छायाप्रति, आदि के समस्त रिकार्ड पेश किये गये।

6. प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद ने बहस के दौरान जवाब दावा में अंकित विन्दुओं व दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम ग्यारसी वाई पुत्री ग्यारसीराम जाति खारोल (खारवाल) सा0 सारोला के स्थान पर रामभरोसी वाई पुत्री ग्यारसीराम , पत्नि प्राण सिंह जाति खारोल (खारवाल) दुरूस्त करने में किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

7. प्रकरण में अधिवक्ता वादनी की बहस तथा जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। पेश दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम ग्यारसी वाई पुत्री ग्यारसीराम जाति खारोल (खारवाल) सा0 सारोला के स्थान पर रामभरोसी बाई पुत्री ग्यारसीराम , पत्नि प्राण सिंह जाति खारोल (खारवाल)दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कचनावदा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती के कब्जे काश्त व खाते की भूमि खाता नं0 नया 24 व पुराना नं0 21 पर खसरा नम्बर 5 की 0.66 हेक्टर, खसरा नम्बर 51 की 2.70 हेक्टर कुल दो किता की 3.36 हेक्टर भूमि में वादनी का नाम ग्यारसी बाई पुत्री ग्यारसीराम जाति खारोल (खारवाल) सा0 सारोला के स्थान पर रामभरोसी बाई पुत्री ग्यारसीराम , पत्नि प्राण सिंह जाति खारोल (खारवाल)दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.09.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमें आम में सुनाया गया।

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

09/9/23
सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)